



पूर्वोत्तर रेलवे-निर्माण संगठन
शुद्धि पत्र

इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या का/227/रि-इंगेज/निर्माण दिनांक-10-04-2024 के मद संख्या 12 के पैरा 4 में आवेदन की अंतिम तिथि त्रुटी वश 30-05-2024 अंकित हो गया था,के स्थान पर दिनांक-15-05-2024 पढ़ा जाय तथा मद संख्या 12 के पैरा 5 में walk-in-interview की सम्भावित तिथि 09-05-2024 के स्थान पर दिनांक 22-05-2024 पढ़ा जाय । शेष यथावत रहेगा ।

Ae 23/4/24

(अरुण कुमार)

सचिव/मु०प्र०अधि०/निर्माण
कृते मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण,
पूउरे०/गोरखपुर

संख्या का/227/रि-इंगेज/निर्माण

दिनांक-23-04-2024

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक/कार्मिक/पूउरे/गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त शुद्धि पत्र को रेलवे वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें ।

Ae 23/4/24

कृते मुप्रअ/निर्माण

अधिसूचना

रेलवे बोर्ड के पत्र सं०.E(NG)II/2020RC-4/2(Pl.2) (RBE No.12/2024) दिनांक 08.02.2024 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार निर्माण संगठन में चल रहे प्रोजेक्ट, जिनमें भूमि अधिग्रहण एवं वन/वन्य जीव क्लीयरेंस के लिये राज्य सरकार के वन/राजस्व विभाग के सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के रि-इंगेजमेंट का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	परियोजना का नाम	सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आवश्यकता		परियोजना से सम्बंधित जिले
		राजस्व विभाग	वन विभाग	
1.	खलीलाबाद-बहराइच नई लाइन	02	01	संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती एवं बहराइच
2.	सहजनवाँ-दोहरीघाट नई लाइन	01	01	मऊ, आजमगढ़ एवं गोरखपुर
3.	गोरखपुर-बाल्मीकीनगर दोहरीकरण			गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर एवं पश्चिम चम्पारन
4.	बुढवल-गोंडा तीसरी लाइन	-	02	बाराबंकी, बहराइच एवं गोंडा
5.	आनन्दनगर-घुघली नई लाइन	02	01	महाराजगंज

कुल=10(05राजस्व+05 वन विभाग)

उपरोक्त 10 रिक्तियों के सापेक्ष राज्य सरकार के वन एवं राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों से रि-इंगेजमेंट हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त के लिये नियम एवं शर्तें निम्नवत होगी:-

- अधिकतम आयु दिनांक-21-02-2026 को 65 वर्ष से कम होनी चाहिए अर्थात् चयनित कर्मचारियों के रि-इंगेजमेंट का कार्यकाल की उम्र 65 वर्ष तक ही मान्य होगी।
- रि-इंगेजमेंट के समय अभ्यर्थियों को चिकित्सीय रूप से सुयोग्य होने चाहिये।
- रि-इंगेजमेंट अभ्यर्थियों को मासिक पारिश्रमिक व भत्ते इत्यादि का भुगतान रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक-08-02-2024 एवं पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा पूर्व में जारी संयुक्त प्रक्रिया आदेश दिनांक-30-03-2022 के अनुरूप देय होंगे।
- रि-इंगेजमेंट किये गये अभ्यर्थियों की सेवा कभी भी बिना नोटिस के समाप्त किया जा सकता है।
- रि-इंगेजमेंट अभ्यर्थी की सेवा दिनांक-21-02-2026 के समाप्ति अथवा 65 वर्ष उम्र (जो भी पहले हो) होने पर स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
- रि-इंगेजमेंट अभ्यर्थी की सेवा पूर्वोत्तर रेलवे के भौगोलिक क्षेत्र में कहीं भी ली जा सकती है।
- रिक्ति के सापेक्ष सम्बंधित विभाग उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य (वन/राजस्व) के सेवानिवृत्त कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं।
- अभ्यर्थियों का चयन, एक चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा।
- आवेदन का प्रारूप संलग्न है।

10. मूल आवेदन के साथ अपेक्षित अभिप्रमाणित कागजात निम्नानुसार संलग्न करें:-


- (1) पासपोर्ट आकार के दो अद्यतन फोटोग्राफ।
- (2) जन्मतिथि प्रमाण-पत्र (हाई स्कूल/समकक्ष प्रमाण-पत्र के अनुसार)
- (3) अ.जा./अ.ज.जा. एवं अन्य पिछड़ी जाति (NCL) के समर्थन में प्रमाण-पत्र।
- (4) सेवानिवृत्ति कर्मचारी का पीपीओ की प्रतिलिपि।
- (5) सेवानिवृत्ति पहचान पत्र।
- (6) आधार/पैन कार्ड/निर्वाचन पहचान पत्र आदि।

11. आरक्षण- आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।

उक्त के आलोक में राज्य सरकार के वन/राजस्व के ग्रेड पे रु. 2000/- से ग्रेड पे रु. 5400/- तक के सेवानिवृत्ति अराजपत्रित कर्मचारी अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकते हैं।

12. अन्य निर्देश-

- (1) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण के कार्मिक शाखा में स्थित आवेदन पेटिका में आवेदन डालना है।
- (2) अभ्यर्थी निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर निर्धारित आवेदन भर कर सभी वाछित प्रपत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपियों के साथ निर्धारित तिथि को सुबह 09:00 बजे से 13:00 बजे तक जमा करने वाले अभ्यर्थी ही वाक-इन-इंटरव्यू में सम्मिलित किये जायेंगे।
- (3) इस साक्षात्कार के लिये कोई टीए./डीए. देय नहीं होगा।
- (4) आवेदन की अंतिम तिथि 30-05-2024 है।
- (5) Walk-in-interview की सम्भावित तिथि 09-05-2024 है।



(अरुण कुमार)

सचिव/मु०प्र०अधि०/निर्माण
कृते मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण
दिनांक-10-04-2024

सं०-का/227/रि-इंगेज/निर्माण

प्रतिलिपि- महाप्रबन्धक/कार्मिक/पूउरे/गोरखपुर-को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त अधिसूचना को रेलवे के वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

कृते मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

पूर्वोत्तर रेलवे - निर्माण संगठन (कार्मिक शाखा)

सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को मासिक पारिश्रमिक आधार पर पुननियोजन हेतु आवेदन पत्र प्रारूप।

1	नाम:		
2	पिता का नाम:		
3	जन्म तिथि:		
4	सेवानिवृत्त के समय पद :		
5	आवेदित पद :		
6	कार्यालय जहाँ सेवानिवृत्त हुये है:		
7	सेवानिवृत्ति की तारीख:		
8	वेतन माह एवं ग्रेड पे :		
9	अंतिम मूल वेतन:		
10	पेंशन की रकम:		
11	पत्राचार का पता:		
12	संपर्क नंबर (मोबाइल):		
13	संलग्नक हाँ/नहीं		1. सेवा प्रमाण पत्र 2. पेंशन भुगतान आदेश(पीपीओ) 3. अंतिम वेतन प्रमाण पत्र
14	किस शाखा में पुननियोजित होना चाहेंगे?		

मेरी जानकारी में ऊपर दिए गए सभी विवरण सही एवं सत्य हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हू कि पुननियोजन के पश्चात् रेलवे बोर्ड/मु०प्र०अ०/निर्माण/गोरखपुर के द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले नियम एवं शर्तों का पालन करूंगा।

दिनांक :

हस्ताक्षर

पता:.....

नाम:.....

मोबाइल नं०:.....